समाहरणालय, कटिहार

जिला योजना कार्यालय

जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार।
:- +91-
E-mail :- dpo-kat-bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–04/2019–20

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय विधायक, कदवा द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द, कदवा एवं माननीय विधायक, कोढ़ा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोढ़ा एवं फलका में एम्बुलेंस क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुशंसा प्राप्त है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सविल सर्जन सह सदस्य सचिव, कटिहार से Tata Winger, Force Traveller, SML ISUZU एम्बुलेंस क्रय करने हेतु सहमति प्राप्त है। एम्बुलेंस आपूर्ति हेतु द्वि–लिफाफा प्रणाली अन्तर्गत मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। पहला लिफाफा तकनीकी बिड एवं दुसरा लिफाफा वित्तीय बिड का होगा। लिफाफों पर तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड लिखना अनिवार्य होगा। दोनों सीलबन्द लिफाफों को एक अन्य सीलबन्द लिफाफे के अन्दर रखा जायेगा। सभी लिफाफों पर निविदादाताओं को अपने प्रतिष्ठिान का नाम अंकित करना होगा। लिफाफा बिल्कुल सीलबन्द होना अनिवार्य है। तकनीकी बिड के साथ अग्रधन की राशि के रूप में रूपये 20,000.00 (मो० बीस हजार रूपये) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जिला योजना पदाधिकारी, कटिहार के पद्नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।

निविदा कोई भी प्रतिष्ठान/अधिकृत विक्रेता/निर्माता जमा कर सकते हैं। निविदा दिनांक–28.01.2020 के 01:00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, कटिहार में जमा किया जाना है। निविदा दिनांक–28.01.2020 को 03:00 बजे अपराह्न में उप विकास आयुक्त, कटिहार–सह– अध्यक्ष जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति की बैठक में भाग ले सकते हैं। निविदा की विस्तृत विवरणी एवं शर्तें कटिहार जिले के वेबसाईट http:// katihar.bih@nic.in पर देखी जा सकती है। किसी भी शंका समाधान हेतु कार्यालय अवधि के दौरान जिला योजना कार्यालय, कटिहार से सम्पर्क किया जा सकता है।

तकनीकी निविदा की शर्तें:–

1. निविदादाता को अपने फर्म रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को इस कार्य को करने का अधिकार पत्र प्राप्त होना आवश्यक है।
3. निविदा के साथ निविदादाताओं को GST निबंधन प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. लगातार तीन वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण–पत्र एवं पैन कार्ड नम्बर की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं द्वारा सम्बंधित फर्म के काली सूची में दर्ज नहीं रहने सम्बन्धी शपथ पत्र मूल में देना अनिवार्य होगा।

वित्तीय निविदा की शर्तेंः–

1. एम्बुलेंस का दर के साथ–साथ एम्बुलेंस का बीमा एवं रजिस्ट्रेशन एवं सभी कर सहित दर देना होगा।

अन्य शर्तें :–

1. निविदादाताओं को किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
2. निविदा के स्वीकृति के उपरान्त सफल निविदादाताओं को एकरारनामा करना होगा तथा निर्धारित अवधि के अन्दर एम्बुलेंस की आपूर्त्ति सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्रों पर करनी होगी।
3. निविदा को बिना कारण बतांये अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित होगा।
4. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र कटिहार होगा।

15.1.2020

जिला योजना पदाधिकारी,
कटिहार।